न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 835 / 2016

1. श्री बीरम पुत्र श्री किशना
2. श्री मांगू पुत्र श्री किशना

जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. श्रीमती नौसर देवी पत्नि स्व0 रामदेव कोली

अप्रार्थी संख्या 2 जाति गुर्जर (गौत्र कोली) निवासी रामनगर (पगारा) तहसील पीसागंन जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 128 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 15.04.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 128 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा के वर्तमान जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 55 पुराना 56 में खसरा सख्या 173 रकबा 01–71–00 व खसरा सख्या 174 के रकबा 00–72–00 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदार की आराजी है । उक्त आराजी के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि लगती हुयी है। अप्रार्थी संख्या 2 खेत की सीमा को लेकर आये दिन झगडा फसाद करती है। सीमाज्ञान करवाये जाने पर भी अप्रार्थी संख्या 2 सीमा को लेकर विवाद करने पर आमादा है। अतः नियमानुसार शुल्क लिया जाकर उक्त खसरा संख्या 173 व 174 का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया । राजहित प्रभावित नहीं होने से सरकार पेरोकार का जवाब बंद किया जाता है । अप्रार्थी संख्या 2 ने उपस्थित होकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा के वर्तमान जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 55 पुराना 56 में खसरा सख्या 173 रकबा 01–71–00 व खसरा सख्या 174 के रकबा 00–72–00 की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार प्रार्थी से शुल्क लिया जाकर पत्थरगढी की जावे।**

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 835/2016

1. श्री बीरम पुत्र श्री किशना
2. श्री मांगू पुत्र श्री किशना

जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. श्रीमती नौसर देवी पत्नि स्व0 रामदेव कोली

अप्रार्थी संख्या 2 जाति गुर्जर (गौत्र कोली) निवासी रामनगर (पगारा) तहसील पीसागंन जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 128 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 15.04.2021

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व श्री शिवचरण शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा के वर्तमान जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 55 पुराना 56 में खसरा सख्या 173 रकबा 01–71–00 व खसरा सख्या 174 के रकबा 00–72–00 की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार प्रार्थी से शुल्क लिया जाकर पत्थरगढी की जावे।**

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.04.2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर) पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन